न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 51 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. हिमथाराम पुत्र हुकमाराम	बनाम	1.अणदाराम पुत्र खेताराम
2. वालाराम पुत्र हुकमाराम		2.मु0रूखमों देवी बेवा खेताराम
3. भोजाराम पुत्र हुकमाराम		3.हनुमानराम पुत्र शेराराम
4. वागाराम पुत्र हुकमाराम		4.गंगाराम पुत्र शेराराम
जाति–जाट, निवासी हरखाली (नया बाटाडू) तहसील जिला बाड़मेर।		5.हड़मानराम पुत्र नैनाराम
		6.ताजाराम पुत्र हुकमाराम

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 01 / 1986 बअनवान आईदान बनाम ताजा वगै. निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.1987।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटगण एवं वकील रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 29.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाटाडू पूर्व तहसील बाड़मेर हाल तहसील बायतु में खेत खसरा संख्या 382 रकबा 74.05 बीघा, खसरा संख्या 391 रकबा 50.09 बीघा तथा ढाणी खसरा संख्या 381 रकबा 0.17 बीघा समस्त रकबा 155.11 बीघा आये हुए है। अपीलाधीन आराजी में हिस्सा 1/2 अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 6 व शेष हिस्सा 1/3 उतरदातागण संख्या 1 से 5 का है व इसी प्रकार मौके पर काबिज है तथा इसी प्रकार पक्षकारान के वालिद काबिज थे। पर्चा लगान खतौनी बंदोबस्त तथा भू–प्रबंध से लगायत इस अपीलाधीन डिक्री की तारीख तक रेकर्ड पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी से सम्बंधित है इस आराजी का पर्चा लगान स्वयं उतरदाता संख्या 3 व 4 के पिता स्व0 शेराराम ने मोतबिरान की उपस्थिति में प्राप्त किया है तथा पर्चा दिनांक 10.03.1956 को ही उतरदातागण को इस बात का ज्ञान था कि अपीलांटस के वालिद स्व0 हुकमा इस आराजी में सह खातेदार है उनके द्वारा इस बाबत् कोई आपति भू–प्रबंध विभाग में दायर नहीं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गई। अपीलाधीन डिक्री कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई केवल मौखिक साक्ष्य पर वाद डिक्री किया गया जिसका कोई मूल्य नहीं की गई था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता प्रतिवादी थे जिनका देहानत माह अप्रेल 1987 में हो चुका था तथा उसके देहान्त की सूचना निश्चत समयावधि के भीतर पेश न कर दिनांक 28.09.1987 को पेश की अपीलांट्स के पिता का देहान्त माह अप्रेल 1987 में होना ग्राम हरखाली के नामान्तकरण संख्या 62 से साबित है परन्तु दावे को एबेट करने की बजाय डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता स्व0 हुकमा के स्थान पर विचरण न्यायालय ने दिनांक 28.09.1987 को पक्षकार अवश्य बनाया परन्तु अपीलांटस व उतरदाता संख्या 6 को वाद में आगे की कार्यवाही में सम्मलित होने की सूचना नहीं दी तथा बिना स्व0 हुकमा के वारीसान की जानकारी में लाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बाटाडू पूर्व तहसील बाड़मेर हाल तहसील बायतु में खेत खसरा संख्या 382 रकबा 74.05 बीघा, खसरा संख्या 391 रकबा 50.09 बीघा तथा ढाणी खसरा संख्या 381 रकबा 0.17 बीघा समस्त रकबा 155.11 बीघा आये हुए है। अपीलाधीन आराजी में हिस्सा 1/2 अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 6 व शेष हिस्सा 1/3 उतरदातागण संख्या 1 से 5 का है व इसी प्रकार मौके पर काबिज है। अपीलाधीन डिक्री कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई केवल मौखिक साक्ष्य पर वाद डिक्री किया गया जिसका कोई मूल्य नहीं की गई था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता स्व0 हुकमा के स्थान पर विचरण न्यायालय ने दिनांक 28.09.1987 को पक्षकार अवश्य बनाया परन्तु अपीलांटस व उतरदाता संख्या 6 को वाद में आगे की कार्यवाही में सम्मलित होने की सूचना नहीं दी तथा बिना स्व0 हुकमा के वारीसान की जानकारी में लाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्म फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के पिता प्रतिवादी हुकमा का देहान्त हो चुका था तथा उस वाद में वादीगण ने प्रतिवादी स्व0 हुकमा के वारीसान अपीलांट्स को पक्षकार अवश्य बनाया था परन्तु कायम मुकाम बनाये जाने की सूचना अपीलांटस को नहीं दी तथा सूचना के अभाव में अपीलांटस वाद की अग्रिम कार्यवाही में सम्मलित नहीं हो सके तथा बिना अपीलांटस की जानकारी में लाये वाद एक पक्षीय डिक्री कर दिया जिसका ज्ञान पक्षकारान के मध्य आराजी का विभाजन का कारण पैदा होने पर हुआ और निर्णय की नकले दिनांक 04.02.2013 को प्राप्त होने पर इस निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2002 Page 445
RRT 2002(1) Page 257
RRT 2004(1) Page 375
RRT 2005(2) Page 1366
RRT 2007(1) Page 73 (High Court)
RRT 2009(2) Page 1102 (High Court)
RRT 2012(1) Page 668
RRT 2013(1) Page 473
RRT 20178(1) Page 356
RRT 2016(1) Page 446

अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। आदेशिका दिनांक 26.02.1986 के अनुसार प्रतिवादी हुकमा बावजूद सम्मन तामील गैर हाजिर है अतः प्रतिवादी हुकमा के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तत्पश्चात दिनांक 28.04.1988 को भी प्रतिवादी पक्ष एकतरफा परन्तु दिनांक 18.08.1987 तक वादी की शहादत पूर्ण नहीं हुई और 28.09.1987 की आदेशिका स्पष्ट करती है है कि "प्रतिवादी हुकमा फौत हो चुका है जिनके कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मुकाम को रिकॉर्ड पर लाने हेतु वादी के वकील ने दरख्वास्त पेश की तथा प्रतिवादी के कायम मुकाम की सूची पेश की। दरख्वास्त स्वीकार की जाकर प्रतिवादी का कायम मुकाम रेकर्ड पर ले लिये। उसी रोज वादी ने अपनी शहादत बंद की एवं पत्रावली बहस हेतु तारीख 28.10.1987 को पेश करने के आदेश हुए जब प्रतिवादी के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया और तदनुसार संशोधित शीर्षक शामिल मिसल किया तो तत्समय प्रतिवादीगण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना में "सम्मन जारी होकर सुना जाना आवश्यक था। उस रोज मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही समुचित नहीं ठहरती, जब उसके विधिक वारिसान संज्ञान में आ गए। अतः निर्णय की तिथि को मृतक के विधिक वारिसान रिकॉर्ड पर ले लिये गए इसलिए उनको समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/1986 बअनवान आईदान बनाम ताजा वगै. में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.12.1987 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित मौका देते साक्ष्य सबूत लेकर प्रक्रियागत कार्यवाही पश्चात पुनः निर्णय पारित करे।

29/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner